प्रेषक

निदेशालय मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला।

सेवा में

1. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
2. राज्य के सभी खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी।
3. राज्य के सभी राजकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के मुखिया।

यादी क्रमांक 1/157-2012-आर0टी0ई0(1),
दिनांक पंचकुला 17.05.2012

विषय :– **शिक्षा का अधिकार, नियम–2011 के नियम 3(2) की अनुपालना में कक्षा I---VIII के छात्र/छात्राओं को मुफ्त स्टेशनरी, वर्दी, स्कूल बैग उपलब्ध करवाने तथा उनसे लिए जाने वाली फीस तथा विद्यालय फण्डों की राशि की विद्यालयों को प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु दिशा–निर्देश––वित्त वर्ष 2012–13.**

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के परिपत्र यादी क्रमांक 1/157-2012-आर0टी0ई0(1), दिनांक 28.03.2012 तथा 01.05.2012 के सन्दर्भ में।

इस विषय में आपको सूचित किया जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 जिन्हें कि हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 03.06.2011 को अधिसूचित किया गया है, के नियम 3(2) की अनुपालना में कक्षा I---VIII के छात्र/छात्राओं को मुफ्त स्टेशनरी, वर्दी, स्कूल बैग उपलब्ध करवाने तथा उनसे लिए जाने वाली फीस तथा विद्यालय फण्डों की राशि की विद्यालयों को प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु वित्त वर्ष 2012–13 में भी वित्त वर्ष 2011–12 की भान्ति राशियां विद्यालय प्रबन्धन समितियों द्वारा खोले गए बैंक खातों में इस निदेशालय द्वारा सीधे ही स्थानांतरित की जाएंगी। इस आशय हेतु निदेशालय ने एक्सिज बैंक, सैक्टर 20, पंचकुला को ये राशियां विद्यालय प्रबन्धन समितियों के बैंक खातों में सीधे ही स्थानांतरित किए जाने हेतु प्राधिकृत किया है। इन राशियों से लाभार्थियों को ये सभी लाभ कैसे उपलब्ध करवाए जाएं। इस विषय में आप की सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिए जाते है :–

1. <u>मुफ्त स्टेशनरी</u> :– सभी गैर–अनुसूचित जाति के छात्रों कक्षाएं I---V को 100/– रूपये प्रति छात्र तथा कक्षाएं VI---VIII को 150/– रूपये प्रति छात्र की दर से विद्यालय छात्र संख्या के आधार पर विद्यालय प्रबन्धन समितियों के बैंक खातों में यह राशि सीधे ही एक्सिज बैंक, सैक्टर 20, पंचकुला द्वारा स्थानांतरित की जाएगी। तद्पोरान्त यह राशि इन लाभार्थी छात्रों द्वारा खोले गए उनके बैंक खातों में विद्यालय प्रबन्धन समितियों द्वारा स्थानांतरित कर दी जाए।
2. <u>वर्दी</u> :– सामान्य वर्ग के सभी छात्रों (केवल लड़के) कक्षाएं I---VIII हेतु 400/– रूपये प्रति छात्र की दर से राशि एक्सिज बैंक, सैक्टर 20, पंचकुला द्वारा विद्यालय प्रबन्धन समितियों द्वारा खोले गए बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। शिक्षा का अधिकार नियम में वर्णित वर्दी हेतु

Naini

निम्नानुसार वस्तुएं निर्धारित की गई हैं :–

प्राथमिक (कक्षा I---V) के लिए		माध्यमिक (कक्षा VI---VIII) के लिए	
छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं
कमीज, पैंट, जुराबें बैल्ट, जूते–तश्मों सहित, नैकटाई, पूरी बाजू की वूलन–जर्सी (सर्दियों के लिए)	सलवार कमीज, दुपट्टा या टॉप–स्कर्ट, जुराबें जूते, बैल्ट, नैकटाई, पूरी बाजू की वूलन–जर्सी (सर्दियों के लिए)	कमीज, पैंट, जूते–तश्मों सहित, जुराबें, बैल्ट, नैकटाई, पूरी बाजू की वूलन–जर्सी (सर्दियों के लिए)	सलवार कमीज, दुपट्टा या टॉप–स्कर्ट, बैल्ट, जुराबें, जूते, नैकटाई, पूरी बाजू की वूलन–जर्सी (सर्दियों के लिए)

तदोपरान्त विद्यालय प्रबन्धन समितियां जिन्हें कि इन नियमों में **'कमेटी'** अंकित किया गया है, द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :–

1. छात्र/छात्राओं की विद्यालय वर्दी जिन्हें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत उपर वर्णित किया गया है, अनुसार होगी, लेकिन कमेटी इसका (सलवार, कमीज और दुपट्टा या टॉप–स्कर्ट) पैटर्न तथा लड़के और लड़कियों की वर्दी के रंग का निर्णय करेगी।
2. कमेटी वर्दी से सम्बन्धित आवश्यक कुल वस्तुओं की संख्या का वस्तुवार आंकलन विद्यालय छात्रों के आधार पर करेगी।
3. कमेटी यह भी निर्णय करेगी कि वर्दी पहनने योग्य तैयार खरीदी जाए अथवा कपड़ा खरीद कर इससे वर्दी को सिलवाया जाए।
4. कमेटी बाजार में इस आशय हेतु अच्छे से प्रचारित करवाएगी, कम–से–कम तीन दुकानों/सपलायरों से प्रत्येक वस्तुवार कोटेशन प्राप्त करेगी और उनके रेटों का आंकलन करेगी तथा वस्तुवार अत्याधिक मुकाबले के साथ कम–से–कम रेट वाली दुकान को खरीद आर्डर देगी।
5. कमेटी सपलायर द्वारा प्रेषित कुल वर्दियों/इससे सम्बन्धित वस्तुओं का विद्यालय में निरीक्षण करेगी। कमेटी अपनी एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें गुणवत्ता तथा कुल वर्दियों/इससे सम्बन्धित वस्तुओं की संख्या की प्राप्ति कि ये सभी वस्तुएं उनकी संतुष्टि अनुसार जैसा कि आदेश दिया गया था, विद्यालय में प्राप्त हुई हैं, का हवाला भी अंकित करेगी।
6. सपलायर/दुकानदार द्वारा दिया गया बिल तथा सभी वर्दियों/इससे सम्बन्धित वस्तुओं का इन्द्राज विद्यालय स्टॉक रजिस्टर में विद्यालय के मुखिया द्वारा किया जाए और उसके पश्चात ही इन वर्दियों/इससे सम्बन्धित वस्तुओं का छात्रों में वितरण किया जाए।
7. कमेटी का सक्षम प्राधिकारी, सपलायर/दुकानदार द्वारा दिए गए बिल की अदायगी सामान के निरीक्षण तथा इसके स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज उपरान्त, सपलायर को उसके खर्चे पर खाता–आधारित चैक अथवा डिमांड ड्राफट द्वारा करेगा।

विभागीय कोई भी अधिकारी भले ही वह जि0मौ0शि0अ0 और ख0मौ0शि0अ0 अथवा विद्यालय का मुखिया ही क्यों न हो कमेटी के निर्णय में कोई दखल–अंदाजी करके इसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा।

जि0मौ0शि0अ0 इस स्कीम की अपने जिला में अच्छे से प्रचारित करवांएगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ये दिशा–निर्देश सभी ख0मौ0शि0अ0 के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय प्रबन्धन समिति तक पहुंचें। ख0मौ0शि0अ0 तथा जि0मौ0शि0अ0 यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यालय

Msaini

प्रबन्धन समितियों से इस स्कीम से सम्बन्धित राशियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र इसी वित्त वर्ष में प्राप्त किए जाएं। इन हिदायतों की अक्षरशः अनुपालना रिपोर्ट वांछित है। सभी जि0मौ0शि0अ0/ख0मौ0शि0अ0 को निर्देश दिए जाते हैं कि वे खण्ड स्तर पर एक संयुक्त बैठक का आयोजन करें जिसमें सभी विद्यालयों के मुखियों/विद्यालय प्रबन्धन समितियों के मुखियों को बुलाकर इस स्कीम के कियान्वयन से सम्बन्धित इन दिशा–निर्देशों/निर्देशों बारे उन्हें पूर्णतः स्पष्ट किया जाए।

3. **स्कूल–बैग** :– सभी गैर–अनुसूचित जाति के छात्रों कक्षाएं I---V को 120/– रूपये प्रति छात्र तथा कक्षाएं VI---VIII को 150/– रूपये प्रति छात्र की दर से विद्यालय छात्र संख्या के आधार पर विद्यालय प्रबन्धन समितियों के बैंक खातों में यह राशि सीधे ही एक्सिज बैंक, सैक्टर 20, पंचकुला द्वारा स्थानांतरित की जाएगी। जैसाकि उपर वर्दियों की खरीद से सम्बन्धित मद न0 2 में स्पष्ट किया गया है, वैसे ही कमेटी द्वारा उसी तरीके/प्रोसीजर को अपनाते हुए इन गैर–अनुसचित जाति के बच्चों के लिए स्कूल बैग खरीदे तथा सप्लाई एवं वितरित किए जाएंगे यानि कि वर्दियों की खरीद सम्बन्धी पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

4. **फीस तथा विद्यालय फण्डों की राशि की विद्यालयों को प्रतिपूर्ति** :– इस विषय में यह अंकित किया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले सभी राजकीय विद्यालयों में छात्रों से जो फीस तथा फण्ड आदि लिए जाते थे, वे 01.04.2010 से बन्द कर दिए गए हैं, लेकिन विद्यालयों का शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलाए जाने हेतु सभी विद्यालयों को प्राप्त होने वाली राशियों की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने का निर्णय लिया गया है। वित्त वर्ष 2011–12 में यह राशियां कक्षाएं I---V को 36/– रूपये प्रति छात्र की दर से तथा कक्षाएं VI--VIII को 46/– रूपये प्रति छात्र की दर से प्रतिपूर्ति की गई है। लेकिन वित्त वर्ष 2012–13 में यह राशियां निम्नानुसार प्रतिपूर्ति हेतु विद्यालय प्रबन्धन समितियों के खातों में सीधे ही एक्सिज बैंक, सैक्टर 20, पंचकुला द्वारा स्थानांतरित की जाएगी :–

1. **कक्षाएं I---V** :–

(क)	अध्यापक अभिभावक संघ (पी0टी0ए0) निधि	02.00रू
(ख)	खेल निधि	05.00रू
(ग)	भवन निधि	05.00रू
(घ)	बाल कल्याण निधि	24.00रू
	कुल योग	36.00रू

2. **कक्षाएं VI---VIII** :–

(क)	अध्यापक अभिभावक संघ (पी0टी0ए0) निधि	02.00रू
(ख)	खेल निधि	10.00रू
(ग)	भवन निधि	10.00रू
(घ)	बाल कल्याण निधि	24.00रू
(च)	स्वास्थ्य निधि	06.00रू
(छ)	विज्ञान निधि	06.00रू
(ज)	मिश्रित निधि	12.00रू
(झ)	परीक्षा निधि	09.00रू
(ट)	दाखिला निधि	03.00रू
(ठ)	आडोविजुअल निधि	02.40रू
(ड)	संगीत निधि	04.80रू
(ढ)	गृह–विज्ञान निधि	04.80रू
	कुल योग	94.00रू

Saini

यह राशियां जैसा कि उपर अंकित किया गया है, पहले विद्यालय प्रबन्धन समितियों के खातों में सीधे निदेशालय द्वारा स्थानांतरित करवाई जाएंगी तथा तदोपरान्त इन्हें विद्यालय के सम्बन्धित निधियों के खातों में स्थानांतरित करवाया जाए तथा उसके पश्चात् इन निधियों के खातों में से यह राशियां नियमानुसार/आवश्यकता अनुसार पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए, जैसे कि पहले खर्चा किया जाता था, उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए विद्यालयों का कार्य सुचारू रूप से चलाए जाने हेतु इन्हें विद्यालय मुखियों अथवा सम्बन्धित निधि इन्चार्जों द्वारा पहले की भांति खर्च किया जाए।

सभी जि0मौ0शि0अ0/ख0मौ0शि0अ0 को निर्देश दिए जाते हैं कि इन दिशा–निर्देशों का विद्यालयों/प्रबन्धन समितियों को विस्तार से प्रचार–प्रसार किया जाए तथा इनकी दृढ़ता से पालना की जाए।

परियोजना समन्वयक आर0टी0ई0
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला।